

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223776 CG-DL-E-18122020-223776

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642] No. 642] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सा.का.िन. 774(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पांचवां संशोधन नियम, 2020 हैं।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 में,
  - (क) उप-नियम (4) में,-
    - (i) "से एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "से दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
    - (ii) पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् –

      "परंतु यह कि किसी व्यष्टि को ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं
      होगा यदि उसने डाटा बैंक में अपने नाम के समावेशन की तारीख से कुल तीन वर्षों की अविध तक सेवा
      की हो.-

6177 GI/2020 (1)

- (क) डाटा बैंक में अपने नाम के समावेशन की तारीख से निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक में कार्य किया हो. अर्थात –
  - (क) सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी; अथवा
  - (ख) दस करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की संदत्त शेयरपूंजी रखने वाली असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी; अथवा
  - (ग) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा देश में सूचीबद्ध कारपोरेट निकाय जो धन शोधन के संबंध में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का सदस्य राज्य हो और ऐसे सदस्य राज्य में प्रत्याभूति बाजार का विनियामक प्रत्याभृति कमीशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य हो; अथवा
  - (घ) 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उससे अधिक की संदत्त शेयरपूंजी रखने वाले भारत के बाहर निगमित निकाय कारपोरेट: अथवा
  - (ङ) संसद के या किसी राज्य की विधायिका के अधिनियम के अधीन गठित वाणिज्यिक क्रियाकलाप करने वाले सांविधिक निगम; अथवा
- (ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय अथवा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अथवा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में निदेशक अथवा उससे ऊपर के वेतनमान में और कारपोरेट विधियों अथवा प्रत्याभूति विधियों अथवा आर्थिक विधियों से संबंधित मामलों को संचालित करने का अनुभव;
- (ग) प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अथवा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में मुख्य महाप्रबंधक अथवा उससे ऊपर के वेतनमान में, और कारपोरेट विधियों अथवा प्रत्याभूति विधियों अथवा आर्थिक विधियों से संबंधित मामलों को संचालित करने का अनुभव;"।

परंतु यह और कि प्रथम परंतुक में संदर्भित तीन वर्ष की अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ किसी ऐसी अवधि को जिसके दौरान व्यक्ति ने दो या दो से अधिक कंपनियों अथवा कारपोरेट निकाय अथवा सांविधिक निगमों में एक ही समय में निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कार्य किया हो, उसे एक ही कार्य के रूप में गिना जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण में, मद (ख) में, "साठ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पचास प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल-I, पार्ट-I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.िन. 259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 589(अ) तारीख 28 सितंबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

- **G.S.R. 774(E).**—In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6,-
  - (a) in sub-rule (4),-
    - (i) for the words "one year from" the words "two years from" shall be substituted;
    - (ii) for the first and second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that an individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served for a total period of not less than three years as on the date of inclusion of his name in the data bank.-

- (A) as a director or key managerial personnel, as on the date of inclusion of his name in the databank, in one or more of the following, namely:-
  - (a) listed public company; or
  - (b) unlisted public company having a paid-up share capital of rupees ten crore or more; or
  - (c) body corporate listed on any recognized stock exchange or in a country which is a member State of the Financial Action Task Force on Money Laundering and the regulator of the securities market in such member State is a member of the International Organization of Securities Commissions; or
  - (d) bodies corporate incorporated outside India having a paid-up share capital of US\$ 2 million or more; or
  - (e) statutory corporations set up under an Act of Parliament or any State Legislature carrying on commercial activities; or
- (B) in the pay scale of Director or above in the Ministry of Corporate Affairs or the Ministry of Finance or Ministry of Commerce and Industry or the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and having experience in handling the matters relating to corporate laws or securities laws or economic laws; or
- (C) in the pay scale of Chief General Manager or above in the Securities and Exchange Board or the Reserve Bank of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India or the Pension Fund Regulatory and Development Authority and having experience in handling the matters relating to corporate laws or securities laws or economic laws:

Provided further that for the purpose of calculation of the period of three years referred to in the first proviso, any period during which an individual was acting as a director or as a key managerial personnel in two or more companies or bodies corporate or statutory corporations at the same time shall be counted only once.";

(b) in the Explanation, in item (b), for the words "sixty percent", the words "fifty percent" shall be substituted.

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I] K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 589 (E), dated the 28<sup>th</sup> September, 2020.